The Infinite
An International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 1 | August 2024
ISSN: 3048-9539 (Online)
Website: www.theinfinite.co.in

भारतवर्ष में बाल अधिकार और मानवाधिकार

डॉ0 नीलम पाण्डेय (चतुर्वेदी)

सहायक आचार्य,

जी सिंह विधि महाविद्यालय,

कसेरुआ खुर्द, सहसो, प्रयागराज, उ0प्र0

मुख्य बिंदु.

मानवाधिकार, समान–व्यवहार मनुष्य, अधिकार

सारांश

मानवाधिकार, अधिकारों का एक समूह है जिसका प्रत्येक मनुष्य हकदार है। यह अधिकार प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी जाति, धर्म या लिंग का हो, उसकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो, यह प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाय, मानवाधिकार महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

परिचय

मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकार और मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात् वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों का सम्बन्ध मानव की स्वतन्त्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए स्थियाँ उत्पन्न करने से होता है। मानव अधिकार ही समाज या देश में ऐसे वातावरण उत्पन्न करते हैंजिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ निर्भीक रूप से मानव गरिमा के साथ जीवन निर्वाह कर सकें। मानव अधिकारों की अवधारणा आवश्यक रूप से न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित मानी जाती है।

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो प्रत्येक मानव को मानव होने के कारण प्राप्त हैं, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता, प्रजाति, नस्ल, धर्म या लिंग का हो; जो हमारी प्रकृति में अन्तर्निहित है जिसके बिना मानव जीवित नहीं रह

सकते तथा जो मनुष्य के ऐसे जीवन की बढ़ती माँग पर आधारित है जिसमें मानव के अन्तर्निहित गरिमा तथा गुण का सम्मान हो तथा उसे संरक्षण प्रदान किया जाय। यह अधिकार किसी विधायनी द्वारा अधिनियमित न होकर नैसर्गिक अधिकारों से मिलते हैं या उनके समान है जिसे सभी सभ्य देश या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था उन्हें मान्यता देती है या स्वीकार करती है एवं संरक्षण प्रदान करती है। मानवीय अधिकारों के संरक्षण के विधिक कर्त्तव्य में उनका सम्मान करने का कर्त्तव्य भी सम्मिलित है।

मानव अधिकार विश्व भर के मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। इन अधिकारों का उद्भव मानव की अन्तर्निहित गरिमा से हुआ है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में इसे अंगीकार और उद्घोषित किया गया।

भारत में बाल अधिकार एवं मानवाधिकार

बच्चे ही किसी राष्ट्र, समाज या परिवार के भविष्य होते हैं। इन बच्चों में ही कोई न्यायाधीश, अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, इन्जीनियर, वैज्ञानिक एवं राजनेता आदि बनते हैं। अतः यह आवश्यक है कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण हो। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विधियों, सन्धि एवं समझौते के माध्यम से माँ के गर्भ से लेकर वयस्क होने तक विभिन्न विधियों का निर्माण हो चुका है, परन्तु आज भी स्थिति यही है कि भ्रूण हत्या, बाल मजदूरी, बच्चों का यौन शोषण, कुपोषण, बच्चों की तस्करी, उन्हें शिक्षा से वंचित करने जैसे अपराध होते रह रहे हैं।

भारतवर्ष में बाल संरक्षण के लिए सरकार ने कई कानून बनाए हैं जिससे उनके अधिकार सुरक्षित करते हुए संरक्षण प्रदान किया जा सके और देश के सुनहरे कल के लिए बच्चों का समग्र विकास एवं संरक्षण हो सके।

प्रश्न उठता है कि बच्चा कौन है, किस निर्धारित उम्र तक की गणना बच्चे के रूप में की जाएगी। यदि हम भारतीय संविधान को देखें तो यह 14 वर्ष तक की उम्र को बच्चे के रूप में मानती है। बाल अधिनियम के अन्तर्गत लड़के होने पर 16 वर्ष एवं लड़की होने पर 18 से कम आयु को बच्चा मानती है। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के धारा 2(12) में यह निर्धारित किया गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति बच्चा है। अन्य अधिनियमों में भी 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा कहा गया है। बाल अधिकार पर कन्वेशन (CRC) 1989 भी 18 वर्ष से कम आयु को बच्चा मानती है।

बच्चों सहित प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति ने ही माँ के गर्भ में आने के उपरान्त ही कुछ अन्तर्निहित अधिकार प्रदान किए हैं। ये मानव अधिकार प्रारम्भ से ही व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। राज्य इन अन्तर्निहित अधिकारों की गारण्टी देता है। बच्चों के मानवाधिकार यह निर्धारित करते हैं कि सभी बच्चे बिना किसी भेदभाव के पूर्णरूप से विकसित होने

में सक्षम होने चाहिए। उन्हें शिक्षा और उचित स्वास्थ्य देखभाल होना चाहिए। बच्चे राज्य के कल्याणकारी नीतियों के प्राप्तकर्ता हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 में बाल अधिकारों के संरक्षण की बात की गयी। वर्ष 1989 में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेशन हुआ। भारत ने 1992 में इस पर हस्ताक्षर किया और बाल मानवाधिकारों से आबद्ध हुआ।

संरक्षण की आवश्यकता

प्रत्येक बच्चे को संरक्षण की आवश्यकता है जो अलग परिस्थितियों में हैं जिनके साथ शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा या उनके विरूद्ध जो भी अपराध होते हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है जिससे उन्हें भविष्य के खतरे से बचाया जा सके। बुद्धिजीवियों का मानना है कि बच्चों को समाज में प्रतिभागियों के रूप में पहचाने जाने की आवश्यकता है जिनके अधिकारों की मान्यता हर उम्र में दी जाती चाहिए जिससे बाल गरीबी, शैक्षिक अवसरों की कमी, बाल मजदूरी, उपेक्षा, बाल श्रम, बाल तस्करी का उन्मूलन किया जा सके। एमनेष्टी इन्टरनेशनल ने खुले तौर पर 04 विशेष बच्चों के अधिकारों की वकालत की है जिसमें पेरोल के बिना किशोर कारावास की समाप्ति, बच्चों के सैन्य उपभोग की भर्ती की समाप्ति, 21 वर्ष से कम उम्र के लोगों को मौत की सजा को समाप्त करना और कक्षा में मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। दुनियाभर के कई देशों में बाल अधिकार लोकपाल या बाल आयुक्त नियुक्त हैं जिनका प्राथमिक कर्त्तव्य बाल अपराधों की सूचना एवं संरक्षण है। ये किसी निगम, समाचार–पत्र, एन.जी.ओ. या आम जनता के लिए भी काम कर सकते हैं।

बच्चों के प्रति होने वाले अपराध

साक्ष्य बताते हैं कि भारत में यौन हिंसा, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, मृत्यु कारित, चोट, स्वास्थ्य जोखिम, अनचाहा गर्भधारण आदि प्रकार के हिंसा शामिल हैं। बच्चों के प्रति हिंसा शोषण और दुर्व्यवहार सामान्यतः बच्चों के जानने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें माता–पिता, परिवार के अन्य सदस्य, उन्हें देखभाल करने वाले, उनके शिक्षक आदि द्वारा किया जाता है। घर–परिवार, स्कूल, देखभाल संस्थान, कार्यस्थल इत्यादि में हिंसा शोषण और दुर्व्यवहार होता है। कई बच्चों को मौन दुर्व्यवहार, शोषण, सशस्त्र हिंसा, तस्करी, बालश्रम, लिंग आधारित हिंसा, गैंग हिंसा, बाल विवाह, शारीरिक और भावनात्मक रूप से हिंसक बाल अनुशासन तथा अन्य हानिकारण कुप्रथाएं शामिल हैं। इन्टरनेट के बढ़ते उपयोग/दुरुपयोग से बच्चों के साथ हिंसा के नए आयाम जैसे साइबर उत्पीड़न और ऑनलाइन यौन शोषण इत्यादि हो रहे हैं, इनमें हिंसा का सामना करने वाले बच्चों को जानकारी कम हो पाती है और इस कारण बहुत कम दोषी ही सजा पा पाते हैं।

रिकार्ड बताते हैं कि प्रत्येक दिन बच्चों के प्रति लगभग 409 अपराध होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (NCRB) के नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 और 2021 के बीच भारत में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

हाल के आंकड़ों के अनुसार सभी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में संयुक्त रूप से बच्चों के विरूद्ध अपराध के मामले 1,49,404 पंजीकृत हुए हैं। जिसमें 47,221 मामले सीर्फ पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत दर्ज किए गये हैं। इसमें बाल विवाह, अपहरण, हत्या और बच्चों के यौन शोषण सहित अन्य अपराध शामिल हैं।

नोबल पुरस्कार विजेता डा० कैलाश सत्यर्थी द्वारा चलाए जा रहे बचपन बचाओ आन्दोलन के अन्तर्गत इनके द्वारा बच्चों के अधिकारों के सन्दर्भ में कई वाद दायर किये गये। बचपन बचाओ संस्था के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग एक हजार से अधिक मामले मानव तस्करी के हैं।

बाल अधिकारों के संरक्षण के सम्बन्ध में भारतीय विधि व्यवस्था के उपबन्ध

सन् 1948 मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसमें भारत ने भाग लिया था, पर 11 दिसम्बर 1992 में बच्चों के अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का भारत समर्थन किया और भारतीय संविधान एवं अन्य विधियों के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विभिन्न अधिनियमों को भी भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। मानवाधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुच्छेद 54 में बच्चों के कुल 41 विशिष्ट अधिकार दिए गये हैं, जिनके अनुसरण में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए विभिन्न अधिनियमों का निर्माण हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुच्छेद 54 में बच्चों के निम्नलिखित अधिकार दिए गये हैं –

- बच्चे की परिभाषा
- बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं
- बाल हितों की रक्षा का अधिकार
- बाल अधिकारों को लागू करना
- माता–पिता की जिम्मेदारी का मार्गदर्शन
- जिन्दा रहना और विकसित होने का अधिकार
- नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार
- पहचान के संरक्षण का अधिकार
- माता–पिता के साथ रहने का अधिकार
- पारिवारिक एकता का अधिकार

- अपहरण से बचाव का अधिकार
- बच्चों के विचार का अधिकार
- अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार
- वैचारिक और धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार
- मिलने–जुलने की स्वतन्त्रता का अधिकार
- गोपनीयता की रक्षा का अधिकार
- माता–पिता की जिम्मेदारी का अधिकार
- सूचनाओं के उचित साधन का अधिकार
- लापरवाही व दुर्व्यवहार से रक्षा का अधिकार
- अनाथ बच्चों की रक्षा का अधिकार
- बच्चों का गोद लेना
- शरणार्थी बच्चों की देखभाल का अधिकार
- दिव्यांग बच्चों की उचित व्यवस्था का अधिकार
- स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार
- स्थानान्तरित बच्चों की नियमित देखभाल का अधिकार
- सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
- अच्छे जीवन स्तर का अधिकार
- शिक्षा की व्यवस्था का अधिकार
- शिक्षा सम्पूर्ण विकास के लिए का अधिकार
- अल्पसंख्यक आदिवासी बच्चों की संस्कृति का अधिकार
- खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का अधिकार
- बाल श्रमिकों की सुरक्षा का अधिकार
- नशीले पदार्थों से बचाव का अधिकार
- यौन शोषण से बचाव का अधिकार
- बेचने, भगाये जाने या रोक का अधिकार
- अन्य शोषणों से बचाव का अधिकार

- यातना और दासता पर रोक का अधिकार
- सेना में भर्ती पर रोक का अधिकार
- पुनर्वास और देखरेख के साथ किशोर न्याय का प्रबन्ध

भारतीय संविधान के अन्तर्गत बच्चों के अधिकार

भारतीय संविधान के भाग III मौलिक या मूल अधिकार, भाग IV राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग IV(A) मूल कर्तव्यों के रूप में बालकों के अधिकारों का संरक्षण करता है। भाग III जहां बालकों को वयस्कों के बराबर मौलिक अधिकार प्रदान करता है, वहीं राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों के रूप में राज्य को बालकों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं उनके विकास का उचित प्रबन्ध करने का प्रावधान करता है। साथ ही भाग IV(A) में मौलिक कर्तव्य के रूप में माता–पिता को बच्चों की शिक्षा प्रदान करने का मूल कर्तव्य निर्धारित करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद बालकों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रोत्साहन करते हैं, जो निम्नवत् हैं –

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14)
- भेदभाव के विरूद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)
- व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार और कानून की उचित प्रक्रिया (अनुच्छेद 21)
- तस्करी और बंधुआ मजदूरी में धकेले जाने से सुरक्षित रहने का अधिकार (अनुच्छेद 23)
- 14 वर्ष की आयु तक किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित रहने का अधिकार (अनुच्छेद 24)
- अपनी उम्र या ताकत के लिए अनुपयुक्त व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए आर्थिक आवश्यकता के कारण दुर्व्यवहार और मजबूर होने से सुरक्षित रहने का अधिकार (अनुच्छेद 39(ई))
- स्वस्थ तरीके से और स्वतन्त्रता और गरिमा की स्थितियों में विकास के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार तथा शोषण के खिलाफ और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की सुरक्षा की गारंटी (अनुच्छेद 39(एफ))

86वें संशोधन 2002 द्वारा भारतीय संविधान के भाग III में अनुच्छेद 21(ए) के अन्तर्गत 06 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबन्ध करेगा। इसी संशोधन के भाग IV में अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निदेशक तत्व में 06 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबन्ध किया गया। 86वें संशोधन में ही भाग IV(A) में 11वां मूल कर्तव्य जोड़कर माता–पिता या संरक्षक का मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे 06 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बालकों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बालकों के अधिकारों के संरक्षण सम्बन्धी उपबन्ध

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 82 सात वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य को अपराध नहीं मानती। धारा 83 भी 07 वर्ष से ऊपर और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अपरिपक्व मानते हुए उसके कार्य को अपराध नहीं मानती। इसी तरह धारा 302 के तहत बच्चों को आजीवन कारावास या मृत्यु–दण्ड की सजा नहीं दी जा सकती। धारा 305 शिशु को आत्महत्या के दुष्प्रेरण के दण्ड से बचाव करती है। धारा 359, 360, 361, 362, 363, 363(ए), 364, 364(ए), 365, 366, 366(ए), 367, 369, आदि धाराओं में बालकों से सम्बन्धित व्यपहरण, अपहरण, भीख मांगने इत्यादि के प्रयोजन के लिए व्यपहरण व अपहरण, विदेशों से आयात एवं निर्यात के प्रयोजन के लिए व्यपहरण या अपहरण, सदोष अवरोध एवं सदोष परिरोध तथा घोर उपहति विदेश से लड़की का आयात करना, उसे छिपाना इत्यादि के सम्बन्ध में दाण्डिक प्रावधान किए गये हैं। धारा 372, 373 में वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का बेचना एवं खरीदना निषिद्ध किया गया है। इसी प्रकार धारा 375, 376, 376(सी)(डी)(ई) इत्यादि धाराएं अवयस्क बच्चों के बलात्संग इत्यादि के सम्बन्ध में दाण्डिक प्रावधान करता है।

बालक अधिनियम 1960

यह अधिनियम बालकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, उनकी देखभाल, रख–रखाव, सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षण और पुनर्वास प्रदान करने के लिए पारित किया गया। इसी धारा 04 में चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड, धारा 05 में बालकों के लिए न्यायालय, धारा 07 में बोर्ड एवं न्यायालय की शक्तियां, धारा 09 एवं 10 में बालकों के घर एवं विद्यालय का प्रबन्ध करता है। धारा 13 उपेक्षित बच्चों के लिए बोर्ड का गठन करता है और धारा 14 उपेक्षित बच्चों के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान करता है तथा धारा 16 उपेक्षित बालकों के उचित संरक्षण का प्रबन्ध करता है। धारा 41 बच्चों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने वाले को दण्ड का प्रावधान करता है। धारा 42 भिक्षावृत्ति करवाने पर दण्ड का प्रावधान करता है। धारा 43 बच्चों को मद्यपान या अन्य नशीले पदार्थों को देने वाले को दण्ड का प्रावधान करता है।

किशोर न्याय (देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम 2015

किशोर न्याय अधिनियम 1986 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित किये गये किशोर न्याय प्रशासन हेतु न्यूनतम मानकों को निर्धारित किया गया। भारत भी चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होने के नाते अपनी विधि में किशोर न्याय व्यवस्था लागू किया। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 एवं 360 में जैसा कि उपबन्धित है, बालकों को बालकों द्वारा किये गये अपराध के सन्दर्भ में न्यूनतम् दण्ड दिया जाय, इन प्रावधानों को देखते हुए 1986 में किशोर न्याय अधिनियम 1986 अपने पूर्ववर्ती बाल अधिनियम 1960 का निरसर करते हुए पारित किया गया। अब किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू किया गया। किशोर–न्याय अधिनियम, 1986 के बाद में यह

पाया गया कि इस कानून को और अधिक व्यापक तथा प्रभावी बनाये जाने की आवश्कता है। इस अवधि में निरन्तर बढ़ती जा रही किशोर अपराधियों की संख्या तथा उनकी समुचित देखरेख और सुरक्षा की अव्यवस्था के कारण उक्त अधिनियम के स्थान पर एक नया किशोर न्याय अधिनियम लागू करने का निर्णय लिया गया।

अतः किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को निरसित कर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 लागू किया गया है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य किशोर अपराधियों को न्याय सुनिश्चित कराने के साथ–साथ निराश्रित बालकों एवं किशोरों की उचित देखरेख और संरक्षण की व्यवस्था करना है।

सन् 2015 में इस अधिनियम को और मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें संशोधन किया गया। पुनः 2021 में किशोर न्याय संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया। जिसमें बच्चों के सन्दर्भ में यदि गम्भीर अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसके लिए किशोर न्याय बोर्ड का उपबन्ध किया गया तथा उनकी सजा 03 से 07 वर्ष के बीच का ही कारावास दिया जा सकता है। संशोधन के अनुसार, प्रमुख अपराधों में अब वे भी शामिल हैं जिनके लिए न्यूनतम सजा या तो निर्दिष्ट नहीं है या सात वर्ष से कम जेल है और अधिकतम सजा सात वर्ष से अधिक है।

पॉक्सो एक्ट (POCSO Act)

पॉक्सो एक्ट अर्थात् प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल अफेन्सेज एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences) को वर्ष 2012 में नाबालिक बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेस्सुअल हैरेसमेन्ट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से रोकने हेतु बनाया गया है। इस कानून के तहत अलग–अलग अपराध के लिए अलग–अलग तरह सजा तय की गई है। इस एक्ट में कुल 46 धाराएं हैं। अब पॉक्सो एक्ट को और सख्त किया गया है।

इस एक्ट के तहत 12 वर्ष से छोटे बच्चों–बच्चियों के साथ बलात्कार के दोषी को मौत की सजा व 12 वर्ष से ऊपर व 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों व बच्चियों के साथ शारीरिक सम्बन्ध, बलात्कार करने वाले दोषियों की सजा 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष तक कर दी गयी है। पॉक्सो एक्ट को वर्ष 2012 में बच्चियों पर बढ़ रहे यौन अपराध पर नकेल कसने के लिए महिला और बाल विकास मन्त्रालय ने बनाया था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि इसमें 46 धाराएं हैं और ये सभी अलग–अलग अपराध की धाराएं हैं इसी के तहत ही दोषियों को सजा दी जाती है। मा० सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में केन्द्र सरकार को आदेश दिया था कि सरकार देश के हर जिले में एक पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court) जरूर बनाएगी ताकि अपराधियों को सजा जल्द से जल्द दी जा सके। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि पॉक्सो कोर्ट के लिए फंड सरकार देगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2006

भारतीय संविधान में 86वें संशोधन द्वारा 2002 में शिक्षा के अधिकारों को अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45 नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्त्तव्यों में 11वां कर्त्तव्य जोड़ने के बाद भी 2006 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। जिसका उद्देश्य 06 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान कराना है। इसे पूरे भारत में 01 अप्रैल, 2010 से लागू कर दिया गया। भारत इसको लागू करने वाला 135वां देश है।

इस अधिनियम में 07 अध्याय, 38 अनुच्छेद व 01 अनुसूची शामिल किया गया है, जिसका–

अध्याय 02 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है।

अध्याय 03 केन्द्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों का दायित्व प्रावधानित करता है।

अध्याय 04 स्कूल और शिक्षकों के दायित्व का निर्धारण करता है।

अध्याय 06 में बाल अधिकारों का संरक्षण किया गया है।

बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986

इस अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। भारत में भी बाल मजदूरी को समाप्त करने के उद्देश्य से कई प्रकार के कानून बनाए गये हैं, जिनमें से बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) कानून 1986, कारखाना अधिनियम 1948, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP), पेन्सिल पोर्टल, खदान अधिनियम 1952, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2006 जैसे कानून अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।

अनैतिक व्यापार (रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2006

यह अधिनियम 1956 के अनैतिक देह व्यापार तस्करी (रोकथाम) अधिनियम का संशोधित रूप है। यह महिलाओं और बच्चों के तस्करी से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर अधिकारियों का गठन करता है, जिससे उनका सीमा पार आयात एवं निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया जा सके और उनके शोषण से उन्हें सुरक्षित किया जा सके। भारत का संविधान सभी को एक गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिनियम गरिमामय जीवन जीने में सहायता करने के उद्देश्य से महिलाओं एवं बच्चों के तस्करी पर रोक लगाता है।

बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में न्यायालयों की भूमिका

बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की विधि व्यवस्था के अन्तर्गत किशोरों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका ने विशेष उपचार और सुरक्षा प्रदान किया है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि बच्चों या किशोरों के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि यौन शोषण, अपहरण, निर्मम पिटाई, नशीली दवाओं की लत, मानसिक और शारीरिक शोषण, तस्करी के बच्चे शिकार हो रहे हैं। उनके उज्जवल भविष्य की सम्भावना कम दीख रही है। भारतीय विधिक व्यवस्थाओं में पर्याप्त अधिनियम बनने के बाद भी आज भी उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रह रहा है। **शीला बारसे *बनाम* सचिव चिल्ड्रेन्स एण्ड सोसाइटी** के वाद में अपीलकर्ता ने बम्बई हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि निरीक्षण गृहों में बच्चों को बिना पारिश्रमिक के काम करने के लिए मजबूर किया गया जो कि अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा के अन्तर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बाल सहायता सोसाइटी अनुच्छेद 12 के अन्तर्गत राज्य है और बिना पारिश्रमिक के अवलोकन गृह में बच्चों का रोजगार अवैध है। **एम.सी.मेहता *बनाम* तमिलनाडु राज्य** के मामले में एम.सी.मेहता ने लोकहित वाद के माध्यम से बच्चों की शिक्षा, उनके विकास से सम्बन्धित मुद्दों के साथ–साथ खतरनाक फैक्ट्रीयों/कारखानों (जैसे आतिशबाजी या माचिस के निर्माण में नियोजित किया जाना) में बच्चों के रोजगार का मुद्दा उठाया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इन कारखानों में काम करना उनके लिए खतरनाक है तथा कहा कि बच्चों के जीवन की गुणवत्ता की निगरानी और उसे बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। **लक्ष्मीकान्त पाण्डेय *बनाम* भारत संघ** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मीकान्त पाण्डेय के नामक अधिवक्ता के पत्र को रिट याचिका माना। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन सिद्धान्तों और मानदण्डों को निर्धारित किया जिनका पालन किया जाना जिनका किसी विदेशी माता–पिता द्वारा किसी बच्चे के दत्तक के सन्दर्भ में आवश्यक है। जिससे बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनाई जाने वाली प्रक्रिया आवश्यक है। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वर्षों से सामाजिक एजेन्सियों द्वारा बच्चों की सुरक्षा का ध्यान न देते हुए विदेशी माता–पिता को बच्चे का दत्तक दिया जा रहा था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि दत्तक के सन्दर्भ में जो भी मानक निर्धारित किये गये हैं, उनका उल्लंघन या अनुपालन न करने पर सम्बन्धित व्यक्ति एवं एजेन्सी के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

लक्ष्मीकान्त पाण्डेय के पत्र को रिट मानते हुए, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि कुछ संस्थाओं के द्वारा गैर कानूनी तरीके से विदेशी माता–पिता को दत्तक दिया जा रहा है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने रिट माना और यह निर्णय दिया कि ऐसी संस्थाओं के विरूद्ध यह निर्णय लिया कि विधि के विरूद्ध जाकर विदेशी माता–पिता को बच्चों को गोद देने–लेने के उल्लंघन या गैर अनुपालन के कारण गोद लेने को अवैध घोषित किया जा सकता है और सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्थाओं के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

बचपन बचाओ आन्दोलन *बनाम* भारत संघ के वाद में सर्कस उद्योग में बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार एवं शोषण के मुद्दे पर आवाज उठाई गई। न्यायालय ने केन्द्र सरकार को आदेश दिया कि वह सर्कस में काम करने

वाले बच्चों पर रोक लगाए और बच्चों को बचाने के लिए छापेमारी करे, जिससे उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण को रोका जा सके। न्यायालय ने बच्चों के शोषण के मुद्दे से व्यवस्थित तरीके से निपटने के लिए अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए कहा कि हम बच्चों के शोषण की समस्या से व्यवस्थित तरीके से निपटने की योजना बना रहे हैं और उनके विरूद्ध होने वाले शोषण से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया।

विशालजीत *बनाम* भारत संघ के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन शोषण के विरूद्ध यह कहा कि यह बेहद निन्दनीय तथा हृदय विदारक है और गरीबी से जूझ रहे बच्चों को देह व्यापार में लिप्त किया जाना नैतिकता, शालीनता और मानवता के विरूद्ध है। इसी प्रकार **गौरव जैन *बनाम* भारत संघ** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वेश्याओं के बच्चों को भी अन्य बच्चों की तरह समान अवसर, सम्मान, देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास की आवश्यकता है। **साक्षी *बनाम* भारत संघ** के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के विधि आयोग को बच्चों के यौन शोषण के सन्दर्भ में महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और राय देने को कहा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एशियार्ड मामला 1981, एल. के.पाण्डेय मामला 1994, वुडरिक ग्रुप लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य आदि मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बाल अधिकारों पर कन्वेशन सहित संविधान और अन्तर्राष्ट्रीय संधि समझौतों पर जोर दिया एवं कहा, यह आवश्यक है कि बच्चे जोखिम भरे काम न करें तथा सरकार एवं विभिन्न एजेन्सियों को बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों को पालन करने का निर्देश दिया।

निष्कर्ष

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि बच्चे प्रत्येक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर हैं। जिस प्रकार एक पौधे के विकसित होने के लिए एक अच्छी मिट्टी एवं खाद व पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक सम्प्रभु राष्ट्र के विकास के लिए बच्चों के समुचित विकास को ध्यान में रखते हुए उनके मानवाधिकारों का संरक्षण एवं पोषण आवश्यक है। इन्हीं से किसी भी राष्ट्र का निर्माण और विकास होता है। अतः इनके मानवाधिकारों की सुरक्षा करना अत्यन्त आवश्यक है। हालांकि आजकल इनका लगातार उल्लंघन हो रहा है और हमें इस विषय से निपटने के लिए सरकार, जनता एवं सभी नागरिकों तथा एजेन्सियों को एक साथ मिलकर प्रयास करना चाहिए। सरकार और नागरिक दोनों को एक–दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी देश सहित पूरे विश्व में बच्चों के मानवाधिकारों को संरक्षित किया जा सकता है। उपर्युक्त तथ्य न्यायपालिका की सक्रियता और बच्चों के विभिन्न प्रकार के शोषण को दर्शाते हैं।

सभी कानूनी ढांचे के बावजूद गरीबी, अशिक्षा, बुनियादी ढांचे की कमी और सुधारात्मक सिद्धान्त के कारण बाल विवाह, बाल वेश्यावृत्ति, बाल श्रम जैसी बच्चों के खिलाफ बुराई प्रचलित है। ऐसी प्रथा के खिलाफ परिणामों का डर लोगों के मन में पैदा करने की जरूरत है। किशोर न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मामले में बच्चों को

कानूनी सलाह दी जानी चाहिए और दण्डात्मक प्रकृति को समाप्त करने के लिए कानून के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि इसे निष्पक्ष कानून बनाया जा सके।

बच्चे मानव जाति की भावी पीढ़ी के प्रतिरूप हैं। किसी भी देश के भावी कर्णधार होने के नाते उन पर देश का स्वर्णिम भविष्य टिका होता है। बच्चे ही समाज की सबसे नाजुक कड़ी होते हैं, जिसके अधिकारों का हनन सरलतापूर्वक किया जा सकता है। अतः सर्वप्रथम हमें बच्चों के मानवाधिकारों के संरक्षण की ही आवश्यकता है।

सन्दर्भ :

Human Rights, Prof. (Dr.) H. O. Agrawal, Dept. of Law, Allahabad University, Allahabad, Central Law Publication, 6th Edition, 2019.

Report of National Crime Record Bureau (NCRB).

The International Bill of Human Rights, ST/HR/1/Rev.6 (Vol. I, Part 1), U.N.Publication, 2003.

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC).

www.181chhattisgarh.in

www.nhrc.nic.in

www.pwtn.org

www.rlsa.gov.in

www.satyarthi.org.in